संख्या– / IV(2)-श0वि0–2025–04(सा0)2018 (22329)

प्रेषक,

गौरव कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जून, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में 'नगर पंचायतों का चुनाव' हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्रांक 689/रा0नि0आ0–ले0/4281/2024, दिनांक 22.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में **'नगर पंचायतों का चुनाव'** हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 में उल्लिखित मानक मदवार विवरणानुसार **कुल रू0 1597.10 (रूपये पन्द्राह करोड़ सत्तानवे लाख दस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) पूर्व माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(3) फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल, यात्रा, टेलीफोन आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।

(4) अवनचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।

(8) धनराशि का नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरण तथा व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(9) कृपया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतयां निर्गमन

विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 287566, दिनांक 31.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन करने का कष्ट करें।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन –03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 287566, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न अलॉटमेन्ट आईडी .....

भवदीय,

Digitally signed by Gaurav Kumar
Date: 06-06-2025 10:59:14

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 09-06-2025 16:59:13

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।